प्रोजेक्ट “ऊर्जा”

ट्रेनिंग प्लेटफ़ॉर्म फॉर

यूथ-एडोलेसेंट एंड एक्शन

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज, पटना

27-28 सितम्बर, 2024

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

एवं

इक्विटी फाउंडेशन, पटना

के समन्वय से आयोजित

विषय सूची

- पृष्ठभूमि
- प्रशिक्षण कार्यशाला का प्रारूप
- प्रशिक्षण कार्यशाला का विवरण
- प्रशिक्षण कार्यशाला की गतिविधियाँ
- प्रतिभागियों की सूची

पृष्ठभूमि

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं इक्विटी फाउंडेशन ने मिलकर एक ऐसे समाज की परिकल्पना की है जिसमें लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न और साइबर अपराध जैसे कुकृत्यों से लोगों को दूर रखा जा सके। हम जानते हैं कि एक सुंदर समाज का निर्माण करने में जागरूक बच्चों और युवाओं का योगदान सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वे केवल देश का भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान भी होते हैं। इसी बिंदु को केंद्र में रखकर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड तथा इक्विटी फाउंडेशन ने एक ऐसे कार्यक्रम की अवधारणा पर काम शुरू किया जिसमें किशोरवय के छात्र-छात्राओं तथा युवाओं, दोनों को शामिल किया जा सके और उन्हें संवेदनशील मुद्दों के प्रति जागरूक किया जा सके। लगातार प्रयासों और चिंतन के बाद सामने आयी 'प्रोजेक्ट ऊर्जा'। ऊर्जा वो होती है जो नसों में स्फूर्ति भर देती है। किशोर विद्यार्थियों एवं युवाओं में इसी ऊर्जा का संचार करने के लिए चयनित विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाई गई, जिसके तहत दो दिनों में प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर उन्हें संवेदनशील सामाजिक मुद्दों से अवगत कराने तथा उनमें जागरूकता पैदा करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए संबंधित विषयों से जुड़े अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों (रिसोर्स पर्सन) की सहायता ली गई। साथ ही, इस बात का खास ख्याल रखा गया कि कार्यक्रम के दौरान छात्र और छात्राओं की एक समान भागीदारी रहे और प्रशिक्षण की भाषा सहज एवं सरल हो। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए बिंदुवार व्याख्या करने के साथ-साथ समूह कार्य का भी प्रयोग किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

प्रशिक्षण कार्यशाला का प्रारूप

रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी और तब से लेकर अब तक यह छात्र-छात्राओं के भविष्य निर्माण में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाता आ रहा है। राजधानी पटना के लोहिया नगर में स्थित यह कॉलेज स्थानीय शिक्षा और ज्ञान के एक ज्योतिपुंज की तरह उभरा है। 'प्रोजेक्ट ऊर्जा' के तहत 27-28 सितम्बर, 2024 को विद्यालय में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

प्रोजेक्ट 'ऊर्जा' को कॉलेज में प्रशासन और शिक्षकों के अलावा विद्यार्थियों का भी पूरा सहयोग मिला। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन में प्रधानाचार्य प्रो. डॉ. जगन्नाथ प्रसाद तथा उपस्थित शिक्षकगण डॉ श्रीमती शैलजा सिन्हा, डॉ निधि सिन्हा, डॉ सरिता कुमारी व डॉ अमर कुमार सहित अन्य शिक्षकों का भी सराहनीय योगदान रहा। कार्यशाला का आयोजन 27-28 सितम्बर, 2024 को एक-एक सत्र में किया गया।

पहले दिन 27 सितम्बर, 2024 को विद्यार्थियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में बताया गया। प्रशिक्षक ने उन्हें बताया कि काम करने के स्थान पर किसी भी प्रकार की यौन प्रताड़ना एवं उत्पीड़न से बचाव का अधिकार हर किसी को है और इसके लिए पर्याप्त नियम एवं कानून बनाए गए हैं। दूसरे दिन सेक्स यानि लिंग और जेंडर यानि लैंगिकता के बीच की बारीक रेखा को बच्चों के सामने स्पष्ट किया गया और उन्हें बताया गया कि कैसे जेंडर के आधार पर समाज ने सेक्स को विभाजित कर उनमें भेदभाव की खाई पैदा की है। इसे ठीक प्रकार से समझने के लिए व्याख्या के साथ-साथ उन्हें समूह कार्य के लिए भी प्रेरित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यशाला का विवरण

पहला दिन : कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

सत्र संचालिका (रिसोर्स पर्सन) : श्रीमती संजू सिंह

पटना उच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता तथा महिलाओं के अधिकारों को लेकर अदालत के भीतर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आवाज बुलंद करने वाली श्रीमती संजू सिंह ने पहले दिन के सत्र को संचालित किया। श्रीमती संजू सिंह का इन मामलों को संभालने का बड़ा अनुभव है और कार्यशाला के दौरान इसका इस्तेमाल उन्होंने छात्र-छात्राओं के सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए किया। सत्र संचालिका ने छात्र-छात्राओं को कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न तथा POSH अधिनियम के बारे में विस्तार से समझाया और उनकी समझ का आकलन करने के लिए उनके साथ संवाद स्थापित किया।

यौन उत्पीड़न क्या है? श्रीमती संजू सिंह ने बताया कि भारतीय दंड संहिता में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को भालीभांति समझाया गया है-

- शारीरिक सम्पर्क करना या किसी को भी गलत तरीके से छूना, इशारे करना, शारीरिक रूप से असहज महसूस कराना
- किसी भी तरह का यौन अनुरोध करना
- किसी भी तरह की यौन टिप्पणी करना
- पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री भेजना

भंवरी देवी की कहानी

श्रीमती संजू सिंह ने कार्यशाला का आरंभ भंवरी देवी की कहानी के साथ किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान की भंवरी देवी एक सरकारी योजना के तहत 'साथिन' के तौर पर काम करती थीं। उनका काम बाल विवाह और दूसरी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा उन्हें रोकना था। 1992 में नौ महीने की शिशु के बाल विवाह को रोकने की कोशिश करने पर दो लोगों ने उनका बलात्कार किया। उनके संघर्ष और बलात्कार के मुकदमे ने कई सालों तक राष्ट्रीय और

अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियाँ बटोरीं, लेकिन जहाँ भंवरी देवी को आज भी न्याय का इंतज़ार है, वहीं उनकी पीड़ा और संघर्ष के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक "विशाखा दिशा-निर्देश" जारी किये गये, जो लाखों भारतीय महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाता है।

कार्यस्थल का तात्पर्य

श्रीमती संजू सिंह ने पूछा कि क्या सचमुच में यौन शोषण होता है? छात्र-छात्राओं का जवाब 'हां' में था। उन्होंने बताया कि वैसे तो यह हर जगह व्याप्त है, लेकिन ज्यादातर असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं इसकी आसान शिकार होती हैं। मजदूर, दाई, घरेलू सहायक के तौर पर काम करने वाली औरतें एवं ऐसी ही अन्य कमजोर सुरक्षा वाले कामों से जुड़ीं महिलाएं हमेशा डर के साए में जीती हैं। ये महिलाएं असंगठित क्षेत्र में आती हैं और इन्हें भी दूसरे कार्यस्थलों की तरह POSH अधिनियम में स्थान दिया गया है। कार्यस्थल का अर्थ है :

- संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र
- भारत में काम करने वाली भारतीय या विदेशी कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनियां।
- सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र; निगम, सहकारी समितियाँ; गैर सरकारी संगठन, वाणिज्यिक संगठन, वित्तीय संगठन

- शैक्षणिक, व्यावसायिक, मनोरंजन, अस्पताल/नर्सिंग होम, उत्पादन-आपूर्ति-बिक्री-वितरण, खेल संस्थान/सुविधाएँ
- निवास स्थान/घर।
- रोजगार के दौरान या उसके दौरान कर्मचारी द्वारा दौरा किया गया कोई भी स्थान, जिसमें ऐसी यात्रा करने के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया परिवहन शामिल है।

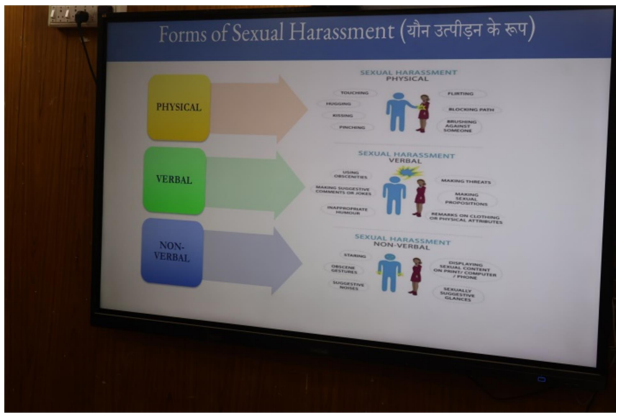

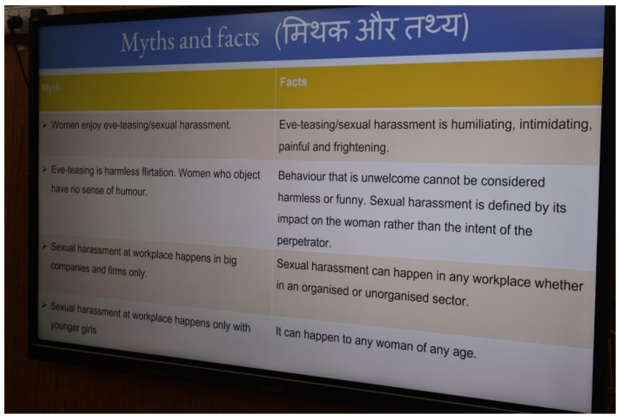

क्या है पॉश अधिनियम (POSH Act) :

रिसोर्स पर्सन ने बच्चों को बताया कि पॉश अधिनियम एक बहुत ही जरूरी कदम है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि कार्यस्थल पर महिलाएं सुरक्षित माहौल में काम करें। हर कामकाजी महिला को पॉश अधिनियम के बारे में जरूर जानना चाहिए। अब तक कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दरअसल यह अधिनियम भारत में 2013 में काम करने की जगह पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना को रोकने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के तहत महिलाओं के साथ होने वाली किसी भी तरह की यौन प्रताड़ना की शिकायत की जा सकती है। इसे सभी कार्यस्थल पर लागू करना जरूरी है। इसके बारे में सभी कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि आपको कार्यस्थल पर कैसा व्यवहार करना है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ ऑफिस में कोई गलत हरकत करता है तो इस एक्ट के तहत शिकायत की जा सकती है। इस कमेटी के मेंबर में कम से कम 50 फीसदी महिलाओं का होना जरूरी है। इस कमेटी का काम होता है कानून के अंदर आने वाली सभी तरह की शिकायत की समीक्षा करना और इसके खिलाफ नियमों के हिसाब से कार्यवाही करना। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की व्याख्या

की गई है और इसके तहत सजा के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही भारत ने यूएन कन्वेंशन CEDAW को भी स्वीकृति प्रदान की है।

पितृसत्ता में हैं जड़ें

श्रीमती संजू सिंह ने छात्र-छात्राओं को समझाया कि सदियों से महिलाओं के साथ जो हिंसा और भेदभाव होता आ रहा है, उसकी जड़ें पितृसत्ता में ही निहित हैं। उन्होंने बताया कि इसके पीछे जो विश्वास है वो ये हैं-

- यह विश्वास कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ हैं
- यह विश्वास कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा स्वीकार्य है।
- यह विश्वास कि यौन उत्पीड़न केवल एक तुच्छ, हानिरहित, छेड़छाड़, इश्कबाज़ी है।
- यह विश्वास कि यौन उत्पीड़न स्वाभाविक पुरुष व्यवहार है।
- यह विश्वास कि महिलाएँ यौन उत्पीड़न का आनंद लेती हैं।
- यह विश्वास कि यौन उत्पीड़न के लिए महिला जिम्मेदार है।

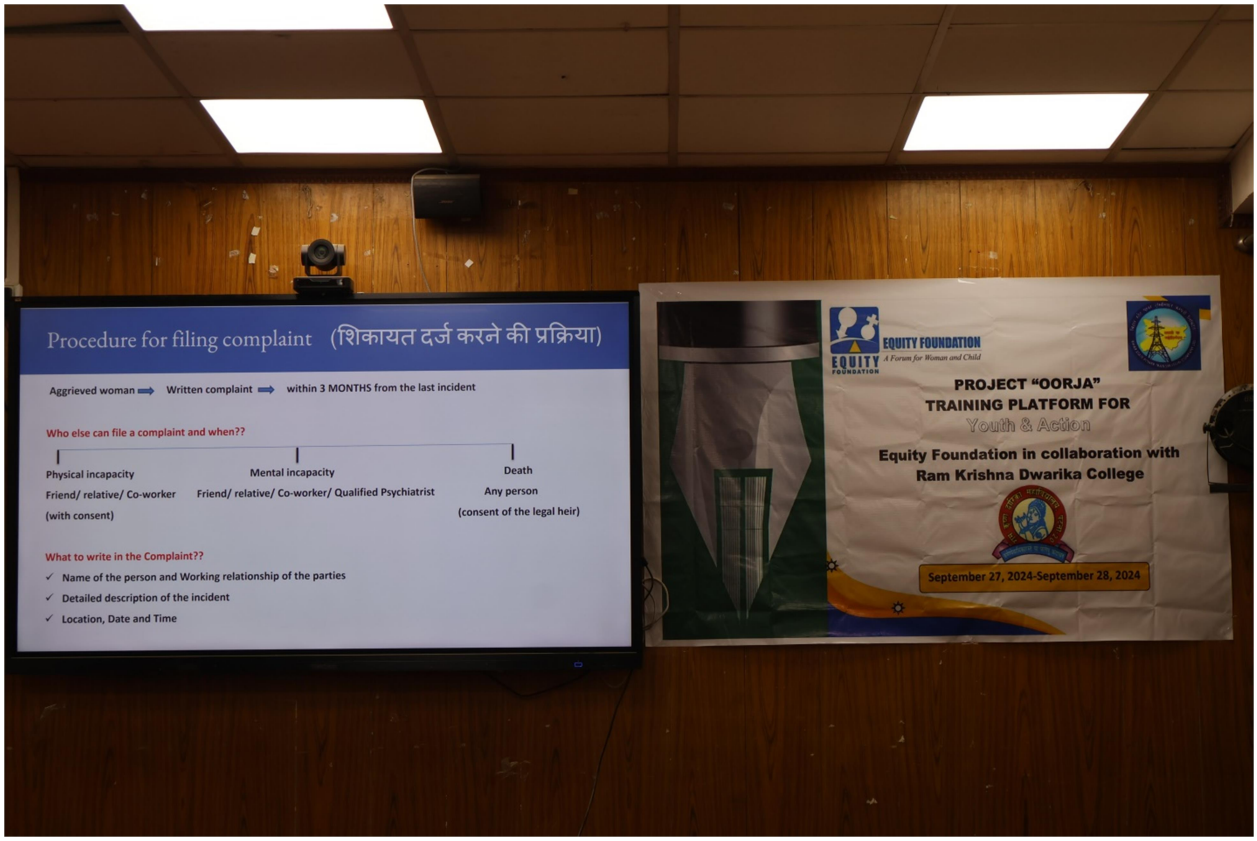

नियोक्ता के दायित्व :

रिसोर्स पर्सन श्रीमती संजू सिंह ने बताया कि अधिनियम के तहत भारत में काम कर रहे नियोक्ताओं के लिए कुछ कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन नहीं करने पर दंड की व्यवस्था की गई है।

- कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना
- आंतरिक समिति (आईसी) का गठन करना
- आईसी का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
- शिकायत से निपटने, जांच करने के लिए आईसी को सुविधाएं प्रदान करना
- आईसी के समक्ष प्रतिवादी और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करना
- यदि पीड़ित महिला आईपीसी या किसी अन्य कानून के तहत शिकायत दर्ज करना चाहती है तो उसकी सहायता करना।
- कार्यस्थल पर कर्मचारी नहीं होने वाले अपराधी के खिलाफ आईपीसी या किसी अन्य कानून के तहत कार्रवाई शुरू करना।

90 दिनों में दर्ज होनी चाहिए शिकायत : इस अधिनियम के तहत 90 दिनों के भीतर इसके लिए ऑफिस में बनी आंतरिक समिति या फिर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कई बार आप ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं और मामला गंभीर होता है तो ऑफिस की कमेटी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराती है। ऑफिस आंतरिक समिति को 10 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट कंपनी को देनी होती है और दोषी पाए जाने पर कंपनी आरोपी को सजा देती है।

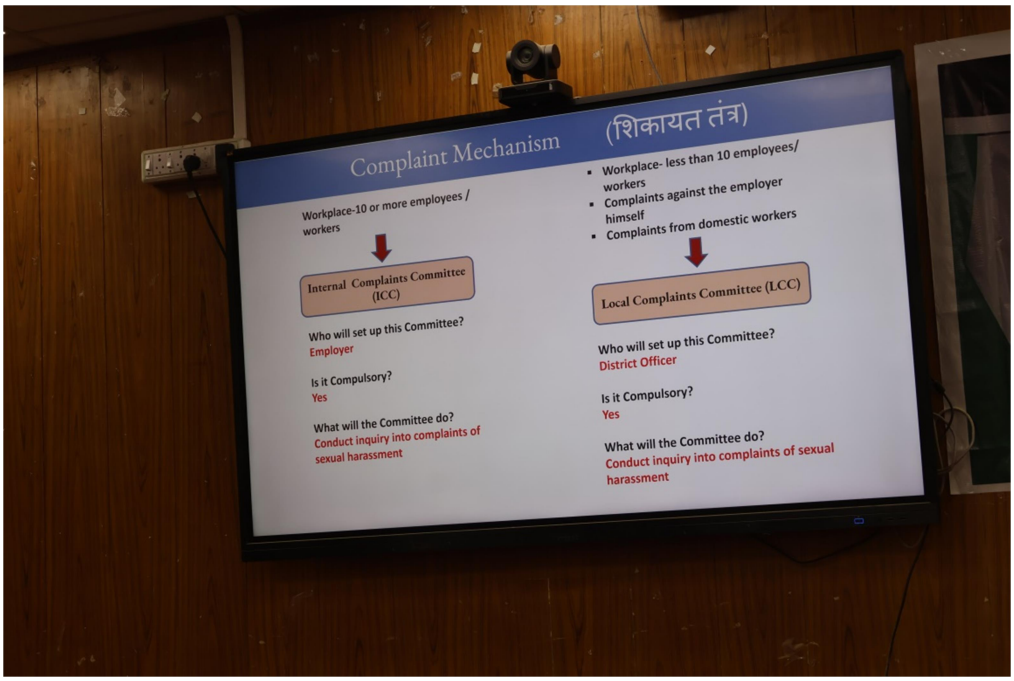

आंतरिक समिति के दायित्व :

- दोनों पक्षों को प्रक्रिया, POSH अधिनियम के अंतर्गत उनके अधिकारों/जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करें।
- निष्पक्ष और सूचित जांच करें
- साक्ष्य (प्रासंगिक जानकारी) एकत्र करें और रिकॉर्ड करें
- मुद्दों की रूपरेखा तैयार करें
- पक्षों और उनके गवाहों की जांच के लिए प्रश्न तैयार करें।
- पक्षों और उनके गवाहों की जांच करें।
- साक्ष्य की सराहना करें।
- निष्कर्षों और सिफारिशों के साथ रिपोर्ट तैयार करें

दूसरा दिन : जेंडर आधारित हिंसा और भेदभाव

सत्र संचालिका (रिसोर्स पर्सन) : रश्मि झा

रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज में प्रशिक्षण कार्यशाला के दूसरे दिन के सत्र का संचालन श्रीमती रश्मि झा ने किया। रश्मि झा ने कई संगठनों के साथ मिलकर काम किया है और बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों को लेकर सजग हैं। रश्मि झा ने छात्र-छात्राओं को जेंडर आधारित हिंसा तथा भेदभाव से जुड़े मुद्दों और बिन्दुओं के बारे में बताया और उन्हें एक सतर्क और जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया।

सचेतनता के साथ परिचय

सत्र की शुरुआत करने से पहले सत्र संचालिका ने छात्र-छात्राओं से थोड़ी देर के लिए सचेतनता का अभ्यास कराया। उन्होंने बच्चों को ध्यान की अवस्था में आने और इस दौरान अपने बचपन की अथवा अपने जीवन से जुड़ी किसी अच्छी या बुरी घटना को याद करने के लिए कहा। विद्यार्थियों ने ध्यान का अभ्यास किया और फिर अपने-अपने संस्मरण को साझा किया। एक छात्रा ने बताया कि वह बचपन में बहुत ही चुप रहा करती थी और किसी से भी अपने मन की बात नहीं कहना चाहती थी। हालांकि किसी ने भी उसकी चुप्पी का कारण जानने की कोशिश नहीं की। एक दूसरे छात्र ने बताया कि उसे

ध्यान की अवस्था में जाने के बाद बहुत अच्छा लगा और अपने परिवार की याद आई जो गाँव में रहता है। सत्र संचालिका ने कहा कि भावनाएं और जरूरतें सबकी एक समान होती हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की, लेकिन समाज ने सेक्स और जेंडर का इतना अजीब ताना-बाना बुना है, जिसके कारण लड़कों से अपनी भावनाओं को छुपाने और लड़कियों से अपनी जरूरतों को छुपाने की अपेक्षा की जाती है। इसे जेंडर आधारित भेदभाव कहा जा सकता है।

सेक्स और जेंडर के बीच अंतर

श्रीमती रश्मि झा ने छात्र-छात्राओं को सेक्स और जेंडर के बीच अंतर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सेक्स जैविकीय तौर पर प्राप्त विशेषताएं हैं, अर्थात् शारीरिक संरचना, प्रजनन क्षमता और अन्य संभावनाएं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति का स्त्री या पुरुष होना पता चलता है। जबकि जेंडर का निर्धारण समाज द्वारा किया जाता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आधार पर जब अवसरों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्त्री और पुरुषों में बांटा जाता है तो उसे जेंडर कहा जाता है। इसका निर्माण समाज करता है, और यह दुनिया भर के समाजों के आधार पर समान या असमान होता है।

लड़के और लड़कियों दोनों के साथ भेदभाव

सत्र संचालिका ने बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि उत्पीड़न में लड़के और लड़कियों का भेद किया जाता है? ज्यादातर छात्र-छात्राओं का जवाब 'हां' में था। उन्होंने माना कि लड़के और लड़कियां दोनों ही उत्पीड़न की शिकार होती हैं लेकिन उनका स्वरूप अलग-अलग होता है। लड़कियों के साथ जहाँ यौन प्रताड़ना, छेड़छाड़ और साइबर बुलिंग अधिक होती है, वहीं लड़के मारपीट और भावनात्मक प्रताड़ना के शिकार अधिक होते हैं।

Figure 1: Different forms of SRGBV

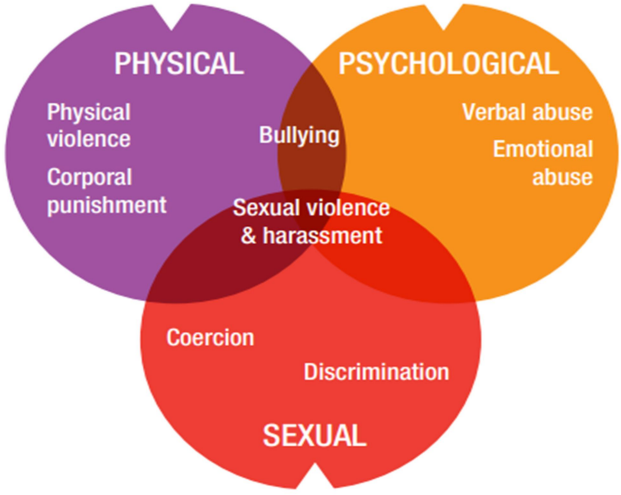

Source: Adapted from UNESCO/UNGEI (2015)

इसी तरह जेंडर आधारित उत्पीड़न के मामले स्कूलों में, स्कूल जाने के रास्ते में, घर में, समुदाय में तथा साइबर जगत में ज्यादा पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, स्कूलों में जिन जगहों पर जेंडर आधारित भेदभाव और हिंसा ज्यादा दिखाई देते हैं उन्हें निम्न चार्ट में बताया गया है :

Classrooms

Robbery /stealing
Teasing
Hitting
Staring

Storage room

Sexual abuse
Robbery / stealing
Bullying

Playground

Fighting
Teasing

Toilets

Forcing to strip
Being locked inside
Peeping
Smoking
Taking pictures

School Entrance

Group fights
Sexual commenting
Physical violence by guards

जेंडर आधारित हिंसा

समाज द्वारा निर्धारित जेंडर का प्रभाव न केवल लड़के-लड़कियों के जीवन दिनचर्या, उनकी शिक्षा और करियर पर पड़ता है, बल्कि इसका एक बुरा स्वरूप हिंसा के रूप में भी सामने आता है। जेंडर आधारित हिंसा का शिकार मुख्य रूप से लड़कियां होती हैं और कई बार यह घातक तरीके से सामने आता है। किसी भी व्यक्ति पर उसके सेक्स, शारीरिक संरचना, या लैंगिकता के आधार पर हिंसा करना जेंडर हिंसा के अंतर्गत आता है। जेंडर आधारित हिंसा किसी भी तरह से सार्वजनिक या निजी रूप से हो सकती है, इसके अंतर्गत निम्न प्रकार की हिंसा आती है :

- शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा और मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना
- धमकी देना या दबाव डालना
- मनमाने ढंग से आज़ादी का हनन करना
- आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना

जेंडर आधारित हिंसा किसी भी हानिकारक कार्य के लिए एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है और जो महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित (लिंग) अंतर पर आधारित होता है। विशिष्ट प्रकार के हिंसा की प्रकृति और सीमा संस्कृतियों, देशों और क्षेत्रों में भिन्न होती है। उदाहरणों में यौन हिंसा, जिसमें यौन शोषण/दुर्व्यवहार और जबरन वेश्यावृत्ति, घरेलू हिंसा, तस्करी, जबरन/जल्दी शादी, महिला जननांग विकृति, सम्मान हत्या और विधवा विरासत जैसी हानिकारक पारंपरिक प्रथाएँ शामिल हैं।

समूह गतिविधि

सत्र समाप्त करने से पहले सत्र संचालिका श्रीमती रश्मि झा ने छात्र-छात्राओं के बीच एक समूह गतिविधि करवाई जो न केवल रोचक थी बल्कि अत्यंत सारगर्भित भी। उन्होंने कुछ छात्रों और छात्राओं को मंच पर बुलाया और उन्हें अलग-अलग भूमिका दी। युवाओं में एक लड़का पुरुष आईएएस अफसर बना, एक लड़का महिला आईपीएस अफसर बना, एक लड़का महिला किसान बना, एक लड़की एक दिव्यांग पुरुष बनी और एक लड़की भिक्षुक महिला बनी। अब उन सबसे जीवन के अवसरों के बारे में सवाल किया गया, जैसे कि शिक्षा पाने की आजादी, जीवन में तरक्की करने की आजादी, घूमने की आजादी, संपत्ति खरीदने की आजादी इत्यादि। उनसे कहा गया कि जिस सवाल का जवाब पूरी तरह उनके पक्ष में हो, उसमें वे एक कदम आगे बढ़ाएं, जिसका जवाब आंशिक तौर पर उनके पक्ष में हो, उसमें वे आधा कदम आगे बढ़ें और जिसका जवाब नकारात्मक हो, उसमें वे एक कदन पीछे चले जाएं। गतिविधि के अंत में पाया गया कि कैसे एक महिला अफसर होने के बाद भी पुरुष अफसर से पीछे थी। इसी तरह एक महिला किसान भी पूरी तरह आजाद नहीं थी, लेकिन वहीं एक दिव्यांग पुरुष भी सामजिक उपेक्षा का शिकार था। इस गतिविधि ने कई सामाजिक मान्यताओं को सामने लाकर रख दिया।

कार्यशाला का समापन एवं सर्टिफिकेट वितरण

कार्यशाला के अंत में रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो. डॉ. जगन्नाथ प्रसाद ने उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित किया तथा इस बहुमूल्य कार्यक्रम के लिए इक्विटी फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमती नीना श्रीवास्तव को धन्यवाद दिया। इसके बाद विद्यार्थियों के बीच नाश्ता वितरण किया गया तथा तत्पश्चात उन्हें कार्यशाला में शामिल होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

रामकृष्ण द्वारिका महाविद्यालय

EQUITY FOUNDATION
PROJECT "OORJA"
TRAINING PLATFORM FOR
ण द्वारिका महाविद्यालय
जस्विनावधीतमस्तु

द्वारिका महाविद्यालय

ख़बरों में कार्यशाला

दैनिक भास्कर

कॉलेज में यौन उत्पीड़न पर कार्यशाला आयोजित

पटना|रामकृष्ण द्वारिका महाविद्यालय में संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र, रसायनशास्त्र विभाग और इक्विटी फाउंडेशन की ओर से कार्यशाला का समापन हुआ। दो दिवसीय इस कार्यशाला में रश्मि झा ने लैंगिक संवेदनशीलता पर चर्चा की। प्राचार्य डॉ. जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता ने कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम की समन्वयक डॉ. शैलजा सिन्हा और सह समन्वयक डॉ. सरिता कुमारी, डॉ निधि सिन्हा, डॉ सुबोध चौधरी और डॉ अमर कुमार रहे। संयोजक इक्विटी फाउंडेशन की संस्थापक नीना श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य और महत्व को बताया। कार्यक्रम के पहले दिन अधिवक्ता संजू सिंह ने कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न पर चर्चा की। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 45 प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिया गया।

एजुकेशनल न्यूज — शिक्षा ही सर्वोपरि — पटना, शि... 29.09.20...

'ऊर्जा परियोजना' के अंतग... दो दिवसीय कार्यशाला

...दाता । एजुकेशनल न्यूज

...दिनांक 28 सितम्बर 2024 को रामकृष्ण ...का महाविद्यालय में संस्कृत, समाजशास्त्र, ...ल, रसायनशास्त्र विभाग एवं इक्विटी ...डेशन के संयुक्त तत्वाधान में 'ऊर्जा ...योजना' के अंतर्गत दो दिवसीय कार्यशाला का सफलतापूर्वक समापन हुआ। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता ने कार्यक्रम की सराहना की एवं वर्तमान आधुनिक युग में इसकी उपयुक्तता बताई। कार्यक्रम की समन्वयक डॉ. शैलजा सिन्हा सिन्हा एवं सह समन्वयक डॉ. सरिता कुमारी, डॉ निधि सिन्हा, डॉ सुबोध चौधरी एवं डॉ अमर कुमार रहें। संयोजक इक्विटी फाउंडेशन की संस्थापक श्रीमती नीना श्रीवास्तव जी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य तथा महत्ता बताई। कार्यक्रम के प्रथम दिन का विषय 'कार्य क्षेत्र पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न' की मुख्य वक्ता पटना उच्च न्यायालय की अधिवक्ता संजू सिंह रही एवं दूसरे दिन रश्मि झा ने 'लैंगिक संवेदनशील... कार्यक्रम में कुल 45 ... रहे जिन्हें प्रमाण पत्र प्र... छात्राओं ने उत्साहपू... लिया एवं इससे अत्य...

हमारी शिक्षा प्रणाली और टीम की मेहनत का परिणाम है।

आरकेडी कॉलेज में महिला उत्पीड़न प...

पटना। रामकृष्ण द्वारिका महाविद्यालय में संस्कृत, समाजश...
...स्त्र विभाग और इक्विटी फाउंडेशन की ओर से 'ऊ...
...दिवसीय कार्यशाला हुई। प्रधानाचार्य डॉ. जगन्ना...
...उच्च न्यायालय की अधिवक्ता संजू सिंह, रश्मि...
...ता' विषय पर चर्चा की।

...com/citylights

RKD कॉलेज में कार्यशाला समाप्त

PATNA : रामकृष्ण द्वारिका महाविद्यालय में संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगो...
रसायनशास्त्र विभाग एवं इक्विटी फाउंडेशन की ओर से ऊर्जा परियोजना के त...
आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का शनिवार को समापन हुआ. प्रधानाचार्य
...जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता ने आयोजन की प्रासंगिकता बताई. पहले दिन, कार्य क्षे...
...महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न' विषय पर हाइकोर्ट की अधिवक्ता
...सिंह एवं दूसरे दिन लैंगिक संवेदनशीलता विषय पर रश्मि झा ने विस्तार से चर्चा